



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थनापत्र संख्या – 2098/2026

प्रमोद कुमार उपाध्याय

...प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ

... विरोधी पक्षकार (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – वीरेंद्र कुमार शुक्ला

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 13

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार

1. आज दाखिल पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य हेतु विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
3. इस प्रार्थनापत्र द्वारा, प्रार्थी, जो कि पुलिस थाना- मोहनलालगंज, जिला – लखनऊ में धारा 61(2), 111(2)(ख), 316(5), 351(3), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता (भारतीय दंड संहिता की धाराएं 120ख, 409, 506, 467, 468, 471 और धारा 111(2)(ख) भारतीय न्याय संहिता – नई जोड़ी गई धारा है) के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 319/2025 में संलिप्त है, विचारण के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग कर रहा है।
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14.08.2025 के अनुसार, प्रार्थी और अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध यह अभिकथन है कि वे एच.के. इन्फ्रा विजन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक और अधिकारी हैं। उक्त कंपनी ने किसानों से भूमि खरीदने के बाद आवासीय उद्देश्यों के लिए जनता को बेच दी और उसके अनुसरण में शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है, लेकिन पूर्ण भुगतान किए जाने के बावजूद आज तक कब्जा नहीं सौंपा गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि प्रार्थी के विरुद्ध कम से कम लगभग 67 आपराधिक वाद दर्ज किए गए हैं और सभी समान प्रकृति के हैं, जिनमें से 38 मामलों में इस न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है, आज दाखिल पूरक शपथ पत्र के साथ 30 से अधिक आदेशों की प्रतियां संलग्न की गई हैं और उसी की समानता हेतु प्रार्थना की गई है।

6. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्तों, जिनके विरुद्ध प्रार्थी के समान ही आरोप लगाए गए हैं, उन्हें पहले ही जमानत दी जा चुकी है, जमानत आदेशों की प्रतियां जमानत प्रार्थनापत्र के साथ दाखिल की गई हैं।

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र का कड़ा विरोध किया है, लेकिन वे इस तथ्य से इनकार करने में असमर्थ रहे कि प्रार्थी के विरुद्ध उन्हीं धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई हैं और समान/एक जैसे आरोपों वाले अन्य सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है और वे प्रार्थी तथा अन्य सह-अभियुक्तों को अन्य मामलों में दिए गए जमानत आदेशों की समानता पर विवाद करने में असमर्थ रहे।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने के बाद; इस तथ्य पर विचार करते हुए कि समान आरोपों में प्रार्थी को कई अन्य मामलों में जमानत पर रिहा किया गया है और समान आरोप वाले अन्य सह-अभियुक्तों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है और समानता का मामला बनता है, अतः प्रथम दृष्टया, यह पाया गया है कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

9. तदनुसार, यह जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

10. आवेदक- प्रमोद कुमार उपाध्याय को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में, उसके द्वारा एक व्यक्तिगत बंधपत्र और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) प्रार्थी विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

(ii) प्रार्थी विचारण के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) प्रार्थी अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iv) प्रार्थी कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

(v) प्रार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन अथवा धमकी नहीं देगा या उससे कोई वायदा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(vi) प्रार्थी या तो व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(vii) प्रार्थी साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों, किसी स्थगन का अनुरोध नहीं करेगा।

(viii) प्रार्थी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

11. उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार आदेश पारित करने का विकल्प चुनने को स्वतंत्र होगा।

12. चूंकि यह आदेश प्रार्थी की जमानत पर रिहाई से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार)

24 मार्च, 2026

एस कुमार